भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 34

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा स्मार्ट कक्षाओं वाली प्रयोगशालाएं

34. श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

श्री जुगल किशोरः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर बिहार के अररिया, हरियाणा के सोनीपत और जम्मू और कश्मीर में जम्मू में जिला-वार सरकारी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) वाली प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं और विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या बिहार, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में शिक्षकों के शिक्षण कौशल के उन्नयन के लिए कोई प्रशिक्षण तंत्र उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की जा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क): देश भर में 139181 स्कूलों में आईसीटी लैब और 113674 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम अनुमोदित किए गए हैं। बिहार के अररिया, हरियाणा के सोनीपत और जम्मू-कश्मीर के जम्मू के लिए अनुमोदित आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम का ब्यौरा इस प्रकार है:-

राज्य	ज़िला	आईसीटी लैब्स	स्मार्ट क्लासरूम
बिहार	अररिया	73	107
हरियाणा	सोनीपत	256	197
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	263	75

स्रोत: प्रबंध

आईसीटी लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम का जिलावार ब्यौरा https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/parliament_annexure_en/annexure_ls_uq_34.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2019-20 में केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल, नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है । निष्ठा "एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।

कोविड महामारी को देखते हुए और शिक्षकों को निरंतर अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए, अक्टूबर 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। शिक्षकों को अधिगम परिणाम, योग्यता आधारित शिक्षण और परीक्षण, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाशास्त्र, स्कूल सुरक्षा और संरक्षा, व्यक्तिगत-सामाजिक गुण, समावेशी शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित शिक्षण-अधिगम में आईसीटी, योग सहित स्वास्थ्य और कल्याण, पुस्तकालय, इको क्लब, युवा क्लब, किचन गार्डन सहित स्कूल शिक्षा में नई पहल, स्कूल नेतृत्व गुण, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, प्री-स्कूल, प्री-वोकेशनल शिक्षा और आनंदपूर्ण शिक्षण तरीके से स्कूल आधारित मूल्यांकन से संबन्धित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई।

वर्ष 2021-22 में निष्ठा प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा, मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) तक बढ़ा दिया गया है। बिहार, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए निष्ठा के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निष्ठा प्रारंभिक (आमने सामने)	निष्ठा प्रारंभिक	निष्ठा माध्यमिक	निष्ठा एफएलएन	निष्ठा ईसीसीई
1	बिहार	149778	288917	41264	216011	1236
2	हरियाणा	64594	63239	18093	19736	1062
3	जम्मू और कश्मीर	323	92646	24612	47692	29595

स्रोत: एनसीईआरटी

(घ) और (ङ): समग्र शिक्षा योजना स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक पूरे समूह को एक निरंतरता के रूप में शामिल है। यह योजना न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अवसर प्राप्त हो जिन्हें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना चाहिए।

समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यकलाप हैं: (i) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा; (ii) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान; (iii) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच; (iv) यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों आदि सहित आरटीई हकदारी (v) गुणवत्ता और नवाचार (vi) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता (vii) भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (viii) जेंडर और समानता (ix) समावेशी शिक्षा (x) शिक्षक शिक्षा संस्थानों और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण (xi) व्यावसायिक शिक्षा (xii) आईसीटी और डिजिटल पहल (xiii) खेल और शारीरिक शिक्षा (xiv) निगरानी और कार्यक्रम प्रबंधन और (xv) राष्ट्रीय घटक।

****